अध्याय-3

अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रेक्षण

अध्याय–3
अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रेक्षण

इस अध्याय में राज्य सरकार की कम्पनियों के कार्य सम्पादन की नमूना जाँच में पाये गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों का समावेश किया गया है।

सरकारी कम्पनियाँ

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड

3.1 कम्पनी अधिकारियों की संदिग्ध मिलीभगत द्वारा आपूर्तिकर्त्ता को अनुचित लाभ

कम्पनी अधिकारियों ने अनियमित रूप से आपूर्तिकर्ता को ₹ 128.45 करोड़ एवं ₹ 157.36 करोड़ मूल्य की संविदा प्रदान की, प्रेषित माल को बिना किसी निर्धारित गुणवत्ता की जाँच के स्वीकार किया, आपूर्तिकर्त्ता से सुरक्षा जमा राशि के रूप में ₹ 10.72 करोड़ कम लिए, भुगतान रोक कर रखने के स्पष्ट आदेशों के बावजूद निम्न गुणवता वाले गनी बैग के लिए ₹ 15.75 करोड़ की राशि अनियमित रूप से जारी किये, इस जानकारी के बावजूद कि आपूर्तिकर्त्ता के द्वारा पहले वर्ष में आपूर्त्ति किये गये सामान निम्न गुणवत्ता के कारण जाँच के दायरे में है, उसी आपूर्तिकर्त्ता को दूसरे वर्ष की संविदा प्रदान की तथा आपूर्तिकर्त्ता को काली सूची में डालने के आदेशों की अवहेलना की।

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्त्ति निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने बिहार में खरीफ विपणन सत्र 2014–15[1] के लिए 60,000 गनी बैग बेल्स[2] के आपूर्त्ति के लिए निविदा आमंत्रित (नवम्बर 2014) की। निविदा दस्तावेज में निम्नलिखित शर्त्ते निहित थी:

- ❖ सभी निविदाकर्त्ताओं से यह अपेक्षित था कि निविदा जमा करने के समय, वे कम्पनी को भारतीय मानक ब्यूरो/राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एन0ए0बी0एल0) द्वारा परीक्षित गनी बैग का नमूना जमा करें।
- ❖ सफल बोली लगाने वाले निविदाकर्त्ता द्वारा आदेशित मात्रा के कुल मूल्य का तीन प्रतिशत सुरक्षा जमा राशि के रूप में जमा किया जाना अपेक्षित था।
- ❖ कम्पनी से यह अपेक्षित था कि वह अपने गुणवत्ता नियंत्रण कर्मचारियों के माध्यम से उतरान स्थल पर ही गनी बैग की गुणवत्ता एवं मात्रा की पुष्टि करें।

मेसर्स विन्सम इंटरनेशनल लिमिटेड, समस्तीपुर (आपूर्त्तिकर्त्ता) को प्रति बेल ₹ 21,408. 34 की दर से 60,000 बेल्स (कुल मूल्य ₹ 128.45 करोड़) की आपूर्त्ति के लिए संविदा प्रदान (जनवरी 2015) की गयी। अभिलेखों की लेखा परीक्षा (जून 2016) में पाया गया कि :

- ➢ यद्यपि आपूर्त्तिकर्त्ता ने बोली लगाने के समय विधिवत परीक्षण किये गए गनी बैग के नमूने प्रस्तुत नहीं किये (जैसा कि निविदा के दिशा–निर्देशों के तहत आवश्यक था) थे, इसके बावजूद भी पाँच सदस्यों वाली निविदा मूल्यांकन समिति[3] इस पर जोर देने में असफल रही।

---

[1] खरीफ विपणन सत्र (25 नवम्बर 2014 से 30 सितम्बर 2015)।

[2] एक बेल में 500 बैग होते है।

[3] प्रबंध निदेशक, वित्त प्रमुख, विशेष कार्य अधिकारी, प्रबंधक अधिप्राप्ति (भारतीय खाद्य निगम) एवं वित्तीय सलाहकार शामिल।

- वित्त अनुभाग जिसमें उप महाप्रबन्धक (वित्त) एवं प्रबन्धक (वित्त) सम्मिलित हैं, ने बिना किसी प्राधिकार एवं लिखित कारणों के ₹ 3.85[4] करोड़ के सुरक्षा जमा राशि के स्थान पर केवल ₹ 50 लाख जमा स्वीकार किया। इस प्रकार, आपूर्त्तिकर्त्ता को ₹ 3.35 करोड़ का अनुचित लाभ दिया।
- निविदा के दिशा–निर्देशों के तहत अपेक्षित होने के बावजूद उतरान स्थल पर, गनी बैग की गुणवत्ता और मात्रा को सत्यापित करने के लिए कोई गुणवत्ता नियंत्रण कर्मचारी नियुक्त नहीं किया गया था।
- जूट आयुक्त[5] ने, आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा अपनी उत्पादन क्षमता से काफी अधिक गनी बैग की आपूर्त्ति करने पर, संदेह किया (जुलाई 2015), तथा इस सम्बन्ध में एक निरीक्षण किया (सितम्बर 2015) जिसमें यह पाया गया की कम्पनी को आपूर्त्ति किये गए कई गनी बैग विनिर्देशों को पूरा नहीं करते थे एवं निम्न गुणवत्ता/न्यूनतम वजन से कम के थे। भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुसार एक बैग भी निर्धारित न्यूनतम वजन से कम पाये जाने पर पूरे खेप को खारिज किया जाना था। चूँकि निरीक्षण दल को कम्पनी के अधिकारियों ने आगे की गुणवत्ता की जाँच करने से रोक दिया (19 सितम्बर 2015), इसलिए अग्रेतर निरीक्षण नहीं किया जा सका।

  प्रारम्भिक जाँच परिणामों के आधार पर, जूट आयुक्त ने कम्पनी एवं सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार को सलाह दी (सितम्बर 2015) कि जब तक संयुक्त निरीक्षण दल[6] किसी नतीजे पर न पहुँचे तब तक गनी बैग के सम्बन्ध में सभी भुगतान रोक दिए जाएँ। तथापि, कम्पनी के वित्त अनुभाग[7] ने बिना किसी लिखित औचित्य के आपूर्त्तिकर्त्ता को ₹ 15.75 करोड़ का भुगतान (सितम्बर 2015 से नवम्बर 2015) जारी कर दिया। संयुक्त निरीक्षण से भी (अक्टूबर 2015) गनी बैग के निम्न गुणवत्ता वाले होने की पुष्टि हुई।
- कम्पनी के आपूर्त्तिकर्त्ता के गनी बैग की गुणवत्ता को लेकर पिछले मुद्दे से अवगत होने के पश्चात भी, कम्पनी के अधिप्राप्ति प्रमुख ने ₹ 157.36 करोड़ मूल्य के अनुबंध (₹ 26,226.15 प्रति बेल की दर से 60,000 बेल्स की आपूर्त्ति के लिए) खरीफ विपणन सत्र 2015–16 के लिए उसी आपूर्त्तिकर्त्ता को दे दिया (12 नवम्बर 2015)।
- तत्पश्चात, भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, (मंत्रालय) ने सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार को आपूर्त्तिकर्त्ता को काली सूची में डालने की सलाह दी (24 नवम्बर 2015)। परन्तु, कम्पनी की तकनीकी मूल्यांकन समिति ने भारत सरकार की सलाह को अनदेखा कर दिया तथा आपूर्त्तिकर्त्ता के इस आशय का शपथ पत्र कि उसे किसी भी सरकारी संस्था द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है (जिसे तकनीकी मूल्यांकन समिति को असत्य होने के बारे में पता था), के आधार पर खरीफ विपणन सत्र 2015–16 के लिए आपूर्त्तिकर्त्ता नियुक्त करने की सिफारिश की (जनवरी 2016)। प्रबन्ध निदेशक (जो आपूर्त्तिकर्त्ता के काली सूची में डालने की प्रक्रिया के बारे में अवगत थे) ने अनुबंध को मंजूरी दी।
- इसके अलावा, कम्पनी ने खरीफ विपणन सत्र 2015–16 के अनुबन्ध के लिए

---

[4] ₹ 128.45 करोड़ का तीन प्रतिशत।
[5] कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन जूट आयुक्त को जूट और जूट वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2000 एवं वस्त्र मंत्रालय आदेश, दिनांक 28 अक्टूबर 2005 के अनुसार जूट के सामान पर नियामक शक्तियाँ दी गई है।
[6] जूट आयुक्त, भारतीय खाद्य निगम एवं कम्पनी के अधिकारियों द्वारा।
[7] उप महाप्रबंधक (वित्त) एवं प्रबंधक (वित्त)।

अपेक्षित सुरक्षा जमा राशि ₹ 7.87[8] करोड़ लेने के बजाय, खरीफ विपणन सत्र 2014–15 के अनुबन्ध की सुरक्षा जमा की राशि ₹ 50 लाख को ही बरकरार रखा। आपूर्त्तिकर्त्ता आवश्यक बेल्स की आपूर्त्ति करने में विफल रहा, जिसके फलस्वरूप कम्पनी को मजबूरीवश 10,268 बेल्स पूर्त्ति एवं निपटान महानिदेशालय (डी0जी0एस0डी0) से क्रय करना पड़ा। इसके बावजूद, कम्पनी द्वारा आपूर्त्तिकर्त्ता के विरूद्ध कोई भी कार्यवाई नहीं की गई।

इस प्रकार वरिष्ठ कम्पनी अधिकारियों के आपूर्त्तिकर्त्ता के साथ संदिग्ध मिलीभगत और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जूट कमिश्नर तथा मंत्रालय के आदेशों के अनुपालन में विफलता के कारण, कम्पनी ने (i) अनियमित रूप से 1,20,000 बेल्स की आपूर्त्ति के लिए ₹ 128.45 करोड़ तथा ₹ 157.36 करोड़ मूल्य के गनी बैग का अनुबन्ध क्रमशः खरीफ विपणन सत्र 2014–15 एवं 2015–16 के लिए प्रदान किया (ii) खरीफ विपणन सत्र 2014–15 एवं 2015–16 के सुरक्षा जमा राशि के रूप में क्रमशः ₹ 3.85 करोड़ एवं ₹ 7.87 करोड़ के बजाये अनियमित रूप से केवल ₹ 50 लाख ही स्वीकार किया (iii) उतरान स्थल पर निर्धारित गुणवत्ता जाँच सुनिश्चित करने में विफल रहा (iv) जूट आयुक्त के भुगतान को रोकने के आदेशों का प्रत्यक्ष उल्लंघन कर आपूर्त्तिकर्त्ता को ₹ 15.75 करोड़ जारी किया (v) पहले वर्ष के अनुबन्ध के लिए आपूर्त्तिकर्त्ता के साथ लम्बित गुणवत्ता के मुद्दों के बारे में अवगत होने के बावजूद दूसरे वर्ष के लिए उसी आपूर्त्तिकर्त्ता को ₹ 157.36 करोड़ का अनुबन्ध प्रदान किया; और (vi) आपूर्त्तिकर्त्ता को काली सूची में डालने के भारत सरकार के आदेशों का उल्लंघन किया तथा उसे दूसरे वर्ष के अनुबन्ध को जारी रखने की अनुमति भी प्रदान की।

कम्पनी ने जवाब में बताया (दिसम्बर 2017) कि सुरक्षा जमा राशि की पहली किश्त आदेशित गनी बैग की वास्तविक मात्रा (5,000 बेल्स) तक ही सीमित थी, गुणवत्ता पर अन्तिम आदेश के लम्बित होने के कारण खरीफ विपणन सत्र 2014–15 की शेष राशि जारी की गई थी एवं आपूर्त्तिकर्त्ता को काली सूची में नहीं डाला गया था क्योंकि उसने समझौते के किसी नियम एवं शर्त्त का उल्लंघन नहीं किया था।

कम्पनी का जवाब मान्य नहीं है, क्योंकि यह अभिलेखों पर तथ्यों द्वारा समर्थित नहीं हैं।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2017), जवाब प्रतीक्षित है (मार्च 2018)।

अनुशंसा

बिहार सरकार ₹ 285.81 करोड़ मूल्य के गनी बैग के आपूर्त्ति के लिए किए गए अनुबंध में कम्पनी के अधिकारियों के संदिग्ध मिलीभगत पर अपराधिक जाँच शुरू करने पर विचार कर सकती है।

बिहार मेडिकल सर्विसेज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड

3.2 बैंक जमा पर ब्याज की अनावश्यक हानि

कम्पनी द्वारा बैंक जमा की निगरानी में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 5.43 करोड़ की हानि

बिहार मेडिकल सर्विसेज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) ने राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में परिवर्तित करने के लिए ₹ 118 करोड़ प्राप्त

[8] दर संशोधित कर खरीफ विपणन सत्र 2015–16 के लिए अनुबंध के कुल मूल्य का पाँच प्रतिशत किया गया।

(फरवरी 2014) किया जिसे आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक में खोले गए एक अलग बचत खाते में (चार प्रतिशत प्रति वर्ष के ब्याज पर) जमा किया गया था (फरवरी 2014)। इसके बाद, कम्पनी के अनुरोध पर बैंक ने बचत खाते से जमा राशि हस्तांतरित कर ₹ 118.74 करोड़ की सावधि जमा (नौ प्रतिशत प्रति वर्ष के ब्याज पर) सृजित की (19 मई 2014)।

लेखा परीक्षा ने पाया (मार्च 2017) की कम्पनी के किसी निर्देश के बिना ही, बैंक ने सावधि जमा खाते को बंद कर (27 जून 2014), ₹ 119.66 करोड़ की राशि बचत खाते में स्थानांतरित कर दी। इसके पश्चात, कम्पनी से किसी भी निर्देश के बिना ही फिर से, बैंक ने बचत खाते से ₹ 120.64 करोड़ स्थानांतरित कर एक सावधि जमा सृजित किया (1 जुलाई 2014), जिसे बिना किसी प्राधिकार के पुनः बंद कर (29 सितम्बर 2014), बचत खाते में स्थानांतरित कर दिया गया। यह राशि जुलाई 2015 तक बचत खाते में ही पड़ी रही। अगस्त 2015 के दौरान, ₹ 80 करोड़ की राशि को ऑटो स्वीप सुविधा के साथ फ्लेक्सी–खातों में स्थानांतरित कर दिया गया तथा शेष ₹ 44.12 करोड़ की राशि बिना किसी ऑटो स्वीप सुविधा के मार्च 2016 तक बचत खाते में ही पड़ी रही, उसके बाद इस रकम का उपयोग किया गया।

लेखा परीक्षा ने आगे देखा (मार्च 2017) कि सावधि जमा या बचत खातों में जमा राशि रखने में बैंक के आचरण से कम्पनी के महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा) अनभिज्ञ रहें।

उपर्युक्त कारणों से, मई 2014 से मार्च 2016 तक की अवधि के दौरान कम्पनी को ₹ 5.43[9] करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

कम्पनी ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा सूचित किया (सितम्बर 2017) कि बैंक के साथ इस मामले का अनुसरण किया जा रहा है।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2017), जवाब प्रतीक्षित है (मार्च 2018)।

बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड

3.3 दण्ड तथा परामर्श शुल्क का अनावश्यक भुगतान

सलाहकार के पूर्व में दिए गए प्रतिवेदन पर किसी प्रकार की कार्यवाही न किये जाने के बावजूद भी कम्पनी ने तीन साल तक सलाहकार की सेवाओं को अनावश्यक रूप से नवीनीकृत करते हुए ₹ 1.08 करोड़ का भुगतान किया, जिससे कम्पनी द्वारा चार वर्षों में किया गया कुल व्यय ₹ 1.44 करोड़ निष्फल रहा। सलाहकार की सिफारिशों पर कार्य करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 50.27 करोड़ के परिहार्य दण्ड का भुगतान करना पड़ा।

बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड (कम्पनी), सर्व शिक्षा अभियान के तहत बिहार राज्य में कक्षा I से VIII के छात्रों के लिए मुफ्त पाठ्य पुस्तकों को प्रकाशित और वितरित करती है। पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति में देरी और बिहार शिक्षा परियोजना पर्षद (बि0शि0परि0प0) द्वारा इसके लिए जुर्माना लगाने की समस्या को कम करने हेतु, कम्पनी ने चन्द्रगुप्त इन्स्टीच्यूट ऑफ मैनेजमेंट, पटना को पाठ्य पुस्तक आपूर्ति श्रृंखला का अध्ययन करने तथा आपूर्ति श्रृंखला प्रबन्धन में सुधार करने के तरीकों पर सुझाव देने हेतु वर्ष 2012–13 के लिए ₹ 36 लाख के शुल्क पर, सलाहकार नियुक्त किया (फरवरी 2012)।

[9] मई 2014 से मई 2015 की अवधि के दौरान ₹ 4.04 करोड़ एवं जून 2015 से मार्च 2016 के दौरान ₹ 1.39 करोड़।

लेखा परीक्षा ने पाया कि यद्यपि सलाहकार ने अपना अध्ययन प्रतिवेदन सौंप दिया (अक्टूबर 2012), परन्तु कम्पनी उनकी सिफारिशों पर कार्यवाही करने में असफल रही और समस्या पूर्ववत् जारी रही।

आगे यह भी पाया गया कि उपरोक्त के बावजूद, कम्पनी[10] उन्हीं नियमों और शर्त्तों तथा शुल्क पर 2014–15, 2015–16 तथा 2016–17 (क्रमशः फरवरी 2014, दिसम्बर 2014 तथा नवम्बर 2015) के लिए भी उसी सलाहकार को वही कार्य आवंटित करती रही। सलाहकार की सिफारिशें बाद के प्रत्येक अध्ययन में समान रहीं। फिर भी, कम्पनी द्वारा कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं की गई जिससे सलाहकार को किये गये ₹ 1.44 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया, इसमें से तीन वर्षों के लिए ₹ 1.08 करोड़ का भुगतान पूर्णतः अनावश्यक था। पाठ्य पुस्तकों की छपाई और आपूर्त्ति में देरी पहले की तरह जारी रही, जिसके कारण कम्पनी ने बि0शि0परि0प0 को ₹ 50.27 करोड़[11] के दण्ड का भुगतान किया।

मामला सरकार तथा कम्पनी को प्रतिवेदित (मई 2017) किया गया, जवाब प्रतीक्षित है (मार्च 2018)।

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार स्टेट बेवरेजेज निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड तथा बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड

3.4 उपहार पर परिहार्य व्यय

कम्पनियों द्वारा वित्तीय औचित्य की कसौटी की अवहेलना करते हुए उपहार की सामग्रियों पर ₹ 2.06 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया।

अभिलेखों के जाँच (नवम्बर 2016 से जून 2017) से यह प्रकट हुआ कि छः सरकारी कम्पनियों ने 2014 से 2016 के दौरान निदेशक मंडल के संकल्प के अनुसार ₹ 2.06 करोड़ के उपहार खरीदें तथा इन्हें विधान सभा/विधान मंडल के सदस्यों, पत्रकारों, वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को वितरित किया, जिसका विवरण निम्नांकित हैं :

क्र0 सं0	कम्पनी का नाम	वर्ष	सामग्री	मात्रा	राशि (₹ लाख में)	कुल (₹ लाख में)
1.	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड	2014	कलाई घड़ी	450	16.63	51.60
		2015	मोबाईल	350	34.97	
2.	बिहार राज्य बेवरेजेज निगम लिमिटेड	2015	ब्रीफकेस	400	10.00	10.00
3.	बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड	2016	मोबाईल	400	34.00	34.00
4.	बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2014	मोबाईल	338	15.44	56.44
		2015	ब्रीफकेस	363	15.00	
		2016	ब्रीफकेस	400	26.00	
5.	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2014	कैमरा	175	18.60	36.31
		2015	कलाई घड़ी	175	17.71	
6.	बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड	2015	कलाई घड़ी	175	17.71	17.71
कुल						206.06

[10] प्रबंधक (कार्य), वित्तीय सलाहकार, विशेष कार्य पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक के द्वारा निर्णय लिया गया।

[11] 2014–15 एवं 2015–16 के दौरान क्रमशः ₹ 28.32 करोड़ एवं ₹ 21.95 करोड़ ।

एक कम्पनी के प्रबन्धन अर्थात् बिहार राज्य बेवरेजेज निगम लिमिटेड ने बताया (मार्च 2017) कि उपहार की सामग्रियों पर व्यय विभाग[12] के निर्देशानुसार तथा निदेशक मंडल के अनुमोदनोप्रांत किया गया था।

कम्पनी का जवाब मान्य नहीं है क्यूँकि यह व्यय वित्तीय औचित्य की कसौटी की अवहेलना करती है तथा यह कम्पनी के उद्देश्यों को बढ़ावा नहीं देती है।

मामला कम्पनियों (मई 2017 तथा सितम्बर 2017) तथा सरकार (मई 2017 तथा सितम्बर 2017) को प्रतिवेदित किया गया, जवाब प्रतीक्षित है (मार्च 2018)।

बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड एवं बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड

3.5 ब्याज का परिहार्य भुगतान

वित्तीय वर्ष के लिए वर्तमान आय का सही अनुमान लगाने में विफलता के कारण बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड और बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने आयकर को ₹ 1.07 करोड़ के दंडित ब्याज का अनावश्यक रूप से भुगतान किया।

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार कर निर्धारिती को वित्तीय वर्ष के अनुमानित वर्त्तमान आय पर, निर्धारित दरों पर चार अग्रिम किस्तों में अग्रिम कर का भुगतान करना होता है, तथा असफल होने पर प्रति माह की देरी पर एक प्रतिशत की दर से दंडित ब्याज का भुगतान देय होता है।

बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (बि0रा0पर्य0वि0नि0लि0) एवं बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड (बि0पु0भ0नि0नि0लि0) के अभिलेखों के जाँच (फरवरी तथा मई 2017) में पाया गया कि दोनों कम्पनियों के वित्तीय विभाग[13] आयकर अधिनियम के अनुसार, पूर्ण अग्रिम कर के भुगतान करने में असफल रहे। आयकर निर्धारण वर्ष 2013–14, 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 के लिए ₹ 98 लाख, ₹ 1.84 करोड़, ₹ 1.77 करोड़ एवं ₹ 1.69 करोड़ की कुल कर देयता के विरूद्ध, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने क्रमशः ₹ 58 लाख, ₹ 1.16 करोड़, ₹ 1.13 करोड़ एवं ₹ 1.20 करोड़ का अग्रिम कर चुकाया। इसी प्रकार, आयकर निर्धारण वर्ष 2014–15, 2015–16 और 2016–17 के लिए ₹ 1.98 करोड़, ₹ 1.79 करोड़ एवं ₹ 5.61 करोड़ की कुल कर देयता के विरूद्ध बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने क्रमशः ₹ 90.97 लाख, ₹ 80.44 लाख और ₹ 1.80 करोड़ का अग्रिम कर चुकाया। इसके फलस्वरूप, दोनों कम्पनियों ने ₹ 1.07[14] करोड़ के अनावश्यक दण्डात्मक ब्याज का भुगतान किया।

मामला कम्पनियों तथा सरकार को प्रतिवेदित (जून 2017/अक्टूबर 2017) किया गया, जवाब प्रतीक्षित है (मार्च 2018)।

---

[12] निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार सरकार।

[13] बि0रा0पर्य0वि0नि0लि0 के उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) एवं बि0पु0भ0नि0नि0लि0 के मुख्य लेखा पदाधिकारी के अगुवाई में।

[14] बि0रा0पर्य0वि0नि0लि0 – ₹ 38.58 लाख एवं बि0पु0भ0नि0नि0लि0 – ₹ 68.01 लाख।

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड

3.6 परिहार्य व्यय

ऊर्जा शक्ति के क्रय के एकरारनामा में संशोधन में कम्पनी के अधिकारियों की अनुचित कार्रवाई के कारण आपूर्तिकर्ता को ₹ 61.70 करोड़ का अनुचित लाभ।

भूतपूर्व बिहार राज्य विद्युत बोर्ड [वर्तमान बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड (बी०एस०पी०एच०सी०एल०)] और मेसर्स जी०एम०आर० कमलंगा एनर्जी लिमिटेड, बैंगलोर (जी०एम०आर०) के बीच 260 मेगा वाट बिजली खरीद के लिए एक ऊर्जा शक्ति के क्रय का एकरारनामा (पी०पी०ए०) निष्पादित (नवम्बर 2011) किया गया था, जिसके अनुसार बिजली आपूर्त्ति की अनुसूचित सुपुर्दगी तिथि (एस०डी०डी०) 9 नवम्बर 2015 थी। पी०पी०ए० में दोनों पक्षों के पारस्परिक सहमति से एस०डी०डी० के पुनरीक्षण का भी प्रावधान था।

नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एन०बी०पी०डी०सी०एल०) के अभिलेखों की जाँच (फरवरी 2017) से पता चला कि जी०एम०आर० ने 1 अप्रैल 2014 या उससे पहले की तिथि से बिजली की आपूर्त्ति के लिए एक संशोधित प्रस्ताव (अक्टूबर 2013) दिया था। इसके बाद, एस०डी०डी० को पूर्व करने की अपनी इच्छा को दोहराए जाने (दिसम्बर 2013) के अलावा, जी०एम०आर० ने एक और अधिक अनुकूल प्रस्ताव दिया जिसके अनुसार संशोधित एस०डी०डी० से मूल एस०डी०डी० तक की अवधि के लिए बिजली आपूर्त्ति प्रासंगिक महीनें में भारतीय ऊर्जा विनिमय (आई०ई०एक्स०) के पूर्वी क्षेत्र (केवल उड़ीसा राज्य) में बिजली बेचने की औसत मासिक ऊर्जा मूल्य तथा पी०पी०ए० के प्रावधानों के अनुसार उद्धृत टैरिफ, जो भी कम हो, पर किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि दिसम्बर 2013 के अधिक फायदेमंद दूसरे प्रस्ताव के बारे में जानते हुए भी कम्पनी के अधिकारियों[15] ने पी०पी०ए० को संशोधित करने हेतु याचिका (अप्रैल 2014) में बिहार विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष अक्टूबर 2013 वाले पहले प्रस्ताव को ही उल्लेखित किया था, जिसे बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने मंजूर किया (जुलाई 2014)। पी०पी०ए० का संशोधन सितम्बर 2014 में किया गया।

यह देखा गया कि सितम्बर 2014 (संशोधित पी०पी०ए० के प्रभावी होने की तारीख) तथा नवम्बर 2015 (मूल एस०डी०डी०) के दौरान आई०ई०एक्स० की कीमतें पी०पी०ए० में तय नियमित टैरिफ से कम थी। अतः ऊपर उल्लिखित भूल के परिणामस्वरूप, कम्पनी को इस अवधि के दौरान ₹ 61.70 करोड़ के अतिरिक्त व्यय और परिणामी हानि उठानी पड़ी, जो अंततः टैरिफ के माध्यम से उपभोक्ता को पारित किया गया।

मामला कम्पनी तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2017), जवाब प्रतीक्षित है (मार्च 2018)।

अनुशंसा

बिहार सरकार एवं कम्पनी, अधिकारियों पर आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ पहुँचाने के लिए जिम्मेदारी तय करने हेतु कारवाई शुरू कर सकती है।

[15] बी०एस०पी०एच०सी०एल० के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, एन०बी०पी०डी०सी०एल० एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं बिहार राज्य पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के विद्युत कार्यपालक अभियंता (अंतर–राज्य)।

नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

3.7 उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ

गलत टैरिफ दर लागू करने के कारण ₹ 5.24 करोड़ की हानि

बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बि0वि0विनि0आ0) के टैरिफ आदेशों[16] के तहत निजी ट्यूबवेल सहित कृषि प्रयोजनों के लिए विद्युत ऊर्जा की आपूर्त्ति को सिंचाई और कृषि सेवा (आई0ए0एस0) टैरिफ संवर्ग के आई0ए0एस0–I में तथा राज्य ट्यूबवेल और सिंचाई पंप/राज्य सिंचाई पंप के उपभोक्ताओं के लिए विद्युत ऊर्जा की आपूर्त्ति को उच्च ऊर्जा दर के टैरिफ पर आई0ए0एस0–II में वर्गीकृत किया गया है।

नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एन0बी0पी0डी0सी0एल0) के अंतर्गत विद्युत आपूर्त्ति प्रमण्डल, छपरा (पश्चिम) के अभिलेखों की संवीक्षा (दिसम्बर 2016 के बाद) में पाया गया कि 26 राज्य ट्यूबवेल उपभोक्ताओं का विपत्रीकरण[17] जून 2014 से फरवरी 2017 की अवधि में गलत ढंग से आई0ए0एस0–I टैरिफ श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत कर किया गया था। इसके फलस्वरूप, कम्पनी ने ₹ 6.18 करोड़ के जगह केवल ₹ 58.58 लाख ही भारित किया जिससे कम्पनी को ₹ 5.60 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

लेखापरीक्षा अवलोकन के जवाब में एन0बी0पी0डी0सी0एल0 ने कहा (जुलाई 2017 और अक्टूबर 2017) कि उन्होंने त्रुटि को सुधार कर ₹ 5.60 करोड़ की राशि संबंधित उपभोक्ताओं के बिजली विपत्रों में भारित कर दिया था, जिनमें से तीन उपभोक्ताओं से ₹ 36.44 लाख वसूल किए गए थे।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 5.24 करोड़ की शेष राशि में से ₹ 1.31 करोड़ के वसूली की संभावना बिहार विद्युत आपूर्त्ति संहिता, 2007 के नियम 10.18 के मुताबिक न्यून है, क्योंकि उक्त नियम के तहत यह उल्लेखित किया गया है कि दो साल की अवधि के बाद उपभोक्ताओं से ऐसी कोई वसूली नहीं की जाएगी जब तक कि विद्युत आपूर्त्ति के शुल्क के बकाये के रूप में इसे लगातार वसूली योग्य नहीं दिखाया गया हो।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2017), जवाब प्रतीक्षित है (मार्च 2018)।

नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

3.8 कम्पाउडिंग शुल्क जमा नहीं किया जाना

वितरण कम्पनियाँ कम्पाउडिंग शुल्क के रूप में एकत्रित राशि ₹ 2.04 करोड़ सरकार को प्रेषित करने में विफल रही।

बिहार विद्युत आपूर्त्ति संहिता, 2007 तथा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 152 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी, कम्पाउडिंग शुल्क[18] एकत्र कर सकता है जिसे सामान्य वित्तीय नियमों की शर्त्तों के अनुसार तत्काल राज्य सरकार के खाते में प्रेषित किया जाना चाहिए।

[16] बि0नि0विनि0आ0 टैरिफ आदेश 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17.

[17] कनीय अभियंता एवं राजस्व अधिकारी/सहायक अभियंता (राजस्व) के द्वारा।

[18] बिजली चोरी का अपराध करने अथवा करने की संदिग्ध संलिप्तता के विरूद्ध किसी भी अपराधिक अदालत में उनके खिलाफ किसी भी कार्यवाही को नही करने अथवा जारी नही रखने के बदले उपभोक्ताओं अथवा व्यक्तियों से एकत्रित राशि।

नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एन0बी0पी0डी0सी0एल0) और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एस0बी0पी0डी0सी0एल0) के अभिलेखों की संवीक्षा (मार्च 2017) में पाया गया कि इन कम्पनियों ने 2010–17 के दौरान एकत्रित कम्पाउडिंग शुल्क की राशि ₹ 4.99 करोड़[19] सरकारी खातें में जमा नहीं किया।

लेखापरीक्षा के आपत्ति को स्वीकारते हुए, ऊर्जा विभाग ने जवाब दिया (अक्टूबर 2017) कि कम्पाउडिंग शुल्क के तहत एकत्रित राशि को जमा नहीं किये जाने के कारण ट्रेजरी प्राप्ति (शीर्ष) के बारे में जानकारी का अभाव था। सरकार का जवाब मान्य नहीं है क्यूँकि इसका कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है, तथा कम्पनियाँ अगर चाहती तो इस जानकारी को प्राप्त कर सकती थी क्योंकि इसके लिए सात वर्ष का समय काफी ज्यादा होता है।

अब तक (मार्च 2018) एन0बी0पी0डी0सी0एल0 ने सरकारी खाते में ₹ 2.95 करोड़ जमा (अप्रैल 2017 से फरवरी 2018 तक) किये थे। एस0बी0पी0डी0सी0एल0 से सरकारी खाते में राशि जमा करने से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त नही हुई थी।

पटना | (नीलोत्पल गोस्वामी)

दिनांक : 22 जून 2018 | **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली | **(राजीव महर्षि)**

दिनांक : 02 जुलाई 2018 | **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

[19] एन0बी0पी0डी0सी0एल0 : ₹ 2.97 करोड़, एस0बी0पी0डी0सी0एल0 : ₹ 2.02 करोड़।